

06-1-2020

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपन परिवारी सं. 8 की तामिल सम्पत्त रूप से होकर पेश हुई है वरजुद सम्पत्त तामिल अनुपस्थित रहने पर परिवारी सं. 8 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रारंभ में लगी जाती है। तत्पश्चात् प्रकरण में वरजुद वकुलाय उपनपक्ष सुनी गयी। वारं अदेश पत्रावली दिनांक 07.1.2021 को पेश हो।

1-1-2021

पत्रावली वारं अदेश आज पेश हुई। प्रकरण में वरजुद वकुलाय उपनपक्ष पूर्व में सुनी जा चुकी है वरजुद वरजुद वकुलाय उपनपक्ष ने मिवेदन किया कि प्रकरण में विवादित पक्षकारों

द्वारा राजीनामा व ईकबाली जवाब पेश किया जा चुका है। अतः प्रकरण में मुताबिक शर्तीनामा डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिफार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस व मुलायम उभयपक्ष पर सजोर मनन किया गया। चूंकि प्रतिवारी सं. 2 व 5 द्वारा राजीनामा पेश किया जा चुका है जिसे न्यायालय द्वारा तस्वीक भी किया जा चुका है एवं प्रतिवारी सं. 1, 3, 4, 6, 7 की ओर से धारिगण के दावों के प्रति सहमति प्रकट करते हुए ईकबाली जवाब पेश किया जा चुका है जो कि शर्तीनामों की श्रेणी में ही माना जाता है। अतः बाद धारिगण मुताबिक शर्तीनामा दिनांकित 15-9-2020 स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। राजीनामा दिनांकित 15-9-2020 डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक शर्तीनामा दिनांकित 15-9-2020 राजस्व रिफार्ड में अमल कराया हो। तदनुसार पत्रावली डिक्री जारी हो। पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तम्नील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 07.10.2021 को मेरे द्वारा दस्तावेजित कर न्यायालयी मुद्दा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकेश कुमार)

RAIS

सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डल  
(फास्ट ट्रेक) खण्डल

